स- ''मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना'' (गहरे नलकूप)

कार्यक्रम का उद्देश्यः-

प्रदेश के उन क्षेत्रों में जहां पर गिरते हुये जल स्तर के कारण मुख्य मंत्री लघु सिंचाई योजना (उथले नलकूप, मध्यम गहरे नलकूप) बोरिंग योजना के अन्तर्गत सिंचाई सुविधा उपलब्ध नहीं हो रही है, में भारी रिंग मशीनों द्वारा मुख्यमंत्री सिंचाई योजना ''गहरे नलकूप''(61 मी0 से 90 मी0 तक) के निर्माण से निजी क्षेत्र में सिंचाई व्यवस्था उपलब्ध कराना कार्यक्रम का उद्देश्य है।

कृषक-लाभार्थी की पात्रता श्रेणीः-

(a)- योजना में सभी श्रेणी के कृषक पात्र होंगे, किन्तु जो कृषक मुख्य मंत्री लघु सिंचाई योजना (उथले नलकूप, मध्यम गहरे नलकूप) में पूर्व से लाभान्वित है, उन्हे इस योजना का लाभ तभी मिलेगा जब वे पूर्व योजना के डिफाल्टर न हो तथा ऋण का पूर्ण भुगतान कर चुके हों। यदि कृषक संयुक्त रूप से नलकूप स्थापित कराना चाहते है तो योजना के अन्तर्गत एक से अधिक सदस्यों को संयुक्त रूप से लाभान्वित कराया जायेगा जिनके खेत प्रस्तावित नलकूप से सिंचित हो सके। उक्त निर्मित नलकूप से सिंचित होने वाली कुल भूमि 12 हे0 से कम नहीं होगी।

(b)- कृषक का पंजीकरण प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना pmkisan.gov.in अथवा पारदर्शी किसान सेवा पोर्टल http://upagripardarshi.gov.in पर होना अनिवार्य है।

(c)- कृषक द्वारा बोरिंग कराने हेतु वेब-पोर्टल jjmup.org पर ऑन लाइन आवेदन ही स्वीकार किया जायेगा।

(d)- कृषक द्वारा उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल प्रबन्धन एवं विनियमन अधिनियम, 2019 के प्रावधान के अन्तर्गत बोरिंग का पंजीकरण भूगर्भ जल के पोर्टल http://upgwdonline.in पर कराना अनिवार्य होगा।

क्रियान्वयन का क्षेत्र तथा नलकूप निर्माण हेतु मानकः-

(1) योजना के अन्तर्गत अतिदोहित/क्रिटिकल विकास खण्डों में नलकूप निर्माण का कार्य नहीं कराया जायेगा। योजना के अन्तर्गत नलकूप निर्माण उन्हीं क्षेत्रों में कराया जायेगा, जहां पर 500 मीटर के व्यास में नलकूपों का निर्माण न कराया गया हो अथवा भूमि जल स्तर नीचे होने के कारण उथली बोरिंग/मध्यम गहरी बोरिंग सम्भव न हो। गहरे नलकूपों का निर्माण उन्हीं क्षेत्रों में कराया जायेगा, जहां पर हैवी रिंग मशीन से 60 मीटर से 90 मी0 तक गहरे नलकूप के निर्माण की आवश्यकता हो। डी.टी.एच रिंग मशीन से बुन्देलखण्ड एवं अन्य जनपद के पठारी क्षेत्र में कराये जाने पर न्यूनतम गहराई का प्रतिबन्ध नही होगा।

(2) नलकूपों का निर्माण तभी कराया जाये, जब प्रस्तावित नलकूप से न्यूनतम 12 हेक्टयर शुद्ध व 20 हे0 सकल भूमि सिंचित की जानी सम्भव हो। इसमें कृषक की भूमि के अतिरिक्त आस-पास के कृषकों की भूमि सिंचाई हेतु भी सम्मिलित की जा सकती है, जो लाभार्थी से किराये पर सिंचाई सुविधा लेंगे।

(3) ऐसे कृषकों को जो उद्यान विभाग/कृषि विभाग द्वारा संचालित सूक्ष्म सिंचाई पद्धति (ड्रिप/स्प्रिंकलर) सिंचाई प्रणाली का लाभ लेने हेतु कृषि विभाग के पोर्टल http://upagripardarshi.gov.inअथवा यथा संशोधित पोर्टल परपंजीयन करायेगें एवं लाभ लेगें, उन कृषकों को बोरिंग कराने में वरीयता प्रदान की जायेगी।

परियोजना लागतः-

इस योजना हेतु एक नलकूप में ड्रिलिंग, पाईप एवं अन्य सामग्री पर व्यय, पम्प हाउस एवं सम्पवेल का निर्माण, विद्युत/डीजल पम्पसेट, जल वितरण प्रणाली तथा विद्युत कनेक्शन पर होने वाला व्यय सम्मिलित होगा जिसमें नलकूप का निर्माण, पम्पसेट की स्थापना तथा पम्प हाउस का निर्माण आवश्यक होगा।

अनुमन्य अनुदानः-

सम्पूर्ण प्रदेश में सभी श्रेणी के कृषकों को हैवी रिंग मशीन से 61 से 90 मी0 गहराई एवं बुन्देलखण्ड एवं अन्य जनपदों के पठारी क्षेत्र में डी.टी.एच. रिंग मशीन से नलकूप निर्माण हेतु लागत का 50प्रतिशत अथवा

रू0 1.00 लाख जो भी कम हो का अनुदान अनुमन्य होगा। अगर किसी मामले में वास्तविक ड्रीलिंग के समय गहराई 90मी0 से अधिक पायी जाती है, तो अनुदान 90 मी0 की गहराई तक ही अनुमन्य होगा। अतिरिक्त गहराई पर होने वाले व्यय की धनराशि का पूर्ण भुगतान कृषक को करना होगा। उक्त के अतिरिक्त जल वितरण प्रणाली हेतु एच0डी0पी0ई0 पाईप सिचांई प्रणाली की स्थापना हेतु लागत का 50 प्रतिशत् अधिकतम रू0 0.10 लाख का अनुदान अनुमन्य होगा। योजनान्तर्गत निर्मित नलकूपों का ऊर्जीकरण यथा सम्भव ''प्रधानमंत्री कुसुम योजना'' से कराने पर विशेष बल दिया जायेगा। ऐसे क्षेत्र जहां ''प्रधानमंत्री कुसुम योजना'' से ऊर्जीकरण सम्भव नही है, वैसे क्षेत्रों के बोरिंगों का ऊर्जीकरण विद्युत के माध्यम से ऊर्जीकरण हेतु उपलब्ध अनुदान से किया जायेगा। गहरी बोरिंग योजना में अनुमन्य अनुदान के अतिरिक्त प्रत्येक नलकूप पर ऊर्जीकरण के लिये समय-समय पर विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित प्रति नलकूप अनुमन्य धनराशि (वर्तमान में रू0 68000.00) अथवा वास्तविक लागत जो भी कम हो अनुमन्य होगी। यह धनराशि नलकूप का छिद्रण होने के पश्चात् नलकूप के ऊर्जीकरण हेतु लाभार्थी के नाम सहित उ0प्र0 पावर कारपोरेशन को उपलब्ध करायी जायेगी। उसके उपरान्त भी यदि सभी लाभार्थियो द्वारा ऊर्जीकरण न कराये जाने की स्थिति आती है तो प्रत्येक वर्ष माह दिसम्बर के अंत तक लक्ष्यों में संशोधन का प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। योजना के अन्तर्गत ''ऐसे कृषकों को जो उद्यान विभाग/कृषि विभाग द्वारा संचालित सूक्ष्म सिंचाई पद्धति (ड्रिप स्प्रिंकलर) सिंचाई प्रणाली/ प्रधानमंत्री कुसुम योजना का लाभ लेने हेतु कृषि विभाग के पोर्टल upagripardarshi.gov.in/upagriculture.com अथवा यथा संशोधित पोर्टल पर पंजीयन करायेगे एवं लाभ लेंगे, उन कृषकों का बोरिंग कार्य हेतु वरीयता प्रदान की जायेगी।

<u>अनुदान की स्वीकृति एवं नलकूप निर्माण हेतु प्रकियाः-</u>

(1) इच्छुक एवं पात्र कृषक उक्त योजना में नलकूप निर्माण हेतु इच्छुक होंगे व अपना प्रार्थना पत्र मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई द्वारा निर्धारित रूपपत्र पर निर्धारित सर्वेक्षण शुल्क रू0 1500 (रू0 एक हजार पाँच सौ मात्र)

सहित अवर अभियन्ता, लघु सिंचाई से पूर्ण, कराकर सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई को उपलब्ध करायेंगे तथा सहायक अभियन्ता लघु सिंचाई इसकी सूचना अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग को प्रेषित करेंगे तथा प्रत्येक कृषक का फोटोग्राफ मोबाइल नम्बर एवं आधार कार्ड पत्रावली में भी सुरक्षित रखे जायेगें।

(2) अधिशासी अभियन्ता लघु सिंचाई, भूगर्भ जल विभाग/रिमोर्ट सेन्सिंग विभाग अथवा विभाग द्वारा अनुमोदित प्राईवेट एजेन्सी से जैसी भी स्थिति हो, नलकूप हेतु बोरिंग की उपयुक्तता के सम्बन्ध में 15 दिन में रिपोर्ट प्राप्त करेंगें। बोरिंग स्थल उपयुक्त पाये जाने की दशा में सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई, नलकूप निर्माण हेतु प्राक्कलन बनायेंगे और धन की आवश्कयता को अंकित करते हुए सम्बन्धित कृषक को सूचना 7 दिन के अन्दर भेजेंगे। कृषक अपनी आवश्यकता के अनुसार बैक से ऋण अथवा निजी संशाधनो से धन जमा करेगा। साइट के अनुपयुक्त पाये जाने के दशा में कृषक का प्रार्थना पत्र सहायक अभियन्ता, ल0 सिं0, अस्वीकृत करते हुए कृषक को इसकी सूचना देगे।

(3) स्थलीय सर्वेक्षण में स्थल उपयुक्त पाये जाने पर सहायक अभियन्ता (ल0सि0) नलकूप की बोरिंग हेतु प्राक्कलन तैयार कर अधिशासी अभियन्ता को स्वीकृति हेतु प्रेषित करेंगे तथा एक प्रति कृषक को भी उपलब्ध करायेंगे। प्राक्कलन की धनराशि का 50 प्रतिशत या अनुमन्य अनुदान एवं प्राक्कलन के अन्तर की धनराशि जो भी अधिक हो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व कृषक से जमा कराकर कृषक की बोरिंग पर कार्य वरीयता कम में करायेंगे तथा इस योजना के अन्तर्गत प्राप्त प्रार्थना पत्रों का कृषकवार वरीयता कम में विवरण मुख्य अभियन्ता द्वारा निर्धारित रूपपत्र पर रजिस्टर में अंकित कर रखा जायेगा, जो निरीक्षण के समय अधिकारियों को उपलब्ध रहेगा।

(4) नलकूप निर्माण कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व कृषक को 100 रूपये के स्टाम्प पेपर पर इस आशय का अनुबन्ध करना होगा कि वह प्राप्त अनुदान एवं ऋण का दुरूपयोग नहीं करेगा और निर्मित बोरवेल में निर्मित नलकूप एवं जल वितरण प्रणाली से सम्बन्धित समस्त निर्माण

कार्य निर्धारित अवधि के अन्दर अवश्य पूर्ण कर लेगा। उक्त अनुबन्ध का प्रारूप मुख्य अभियन्ता (ल0सि0) द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

(5) प्राइवेट बोरिंग करने वाली फर्म का पंजीकरण जनपद स्तर पर upgwonline.in website पर पंजीकरण अनिवार्य होगा।

(6) बोरिंग के समय बोंरिग स्थल की बैरीकेटिग कृषक द्वारा अनिवार्य रूप से स्वयं करायी जायेगी, जिससे बच्चों के कूप में गिरने व अन्य को दुर्धटनाओं से बचाया जा सके।

<u>निजी श्रोतों से नलकूप निर्माण की प्रकिया के सम्बन्ध में निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी–</u>

(i) कृषक का बोरिंग स्थल उपयुक्त पाये जाने पर सहायक अभियन्ता द्वारा अनुमानित व्यय का प्राक्कलन कृषक को उपलब्ध कराया जायेगा। प्राक्कलन के अनुसार कृषक को बोरवेल की लागत (ड्रिलिंग तथा पाईप एवं अन्य सामग्री) पर होने वाले व्यय का 50 प्रतिशत या अनुमन्य अनुदान एवं प्राक्कलन के अन्तर जो भी अधिक हो की धनराशि विभाग में जमा करना होगा। कृषक द्वारा उक्त धन जमा कराये जाने के उपरान्त वरीयता कम निर्धारित किया जायेगा। विभाग द्वारा कृषक की उक्त जमा धनराशि एवं अनुमन्य अनुदान से स्वीकृत एवं आहरित करके सामग्री आदि की व्यवस्था की जायेगी तथा उपलब्ध धनराशि के अन्दर ड्रिलिंग एवं एसेम्बली लोवर करने का कार्य यथा सम्भव वरीयता कम में एक माह के अन्दर पूर्ण कर लिया जायेगा।

(ii) बोरवेल निर्मित होने के उपरान्त नलकूप निर्माण में डीजल पम्पसेट/विद्युत पम्पसेट/जनरेटर सेट, सबमर्सिबल पम्प आदि जो आवश्यक हो की हार्स पावर इत्यादि के सम्बन्ध में सहायक अभियन्ता द्वारा, निर्धारित प्रारूप पर कृषक को परामर्श दिया जायेगा तथा इसका कय कृषक द्वारा स्वयं किया जायेगा। बोरिंग कार्य पूर्ण हो जाने पर अधिकतम रू0 100000/–(रू0 एक लाख मात्र) तक अनुमन्य अनुदान का लाभ सत्यापन/मूल्यांकन के उपरान्त कृषक को उपलब्ध कराया जायेगा। कृषक के अनुरोध पर आई0एस0आई0 मार्क डीजल पम्पसेट/विद्युत पम्पसेट/जनरेटर, सबमर्सिबल पम्प का कोटेशन/बिल विक्रेता से प्राप्त कर सहायक अभियन्ता (ल0सि0) को उपलब्ध कराने पर विभाग द्वारा बोरिंग कार्य के उपरान्त अवशेष

अनुदान की धनराशि में से पम्पसेट के मूल्य का अधिकतम 50 प्रतिशत अथवा अनुमन्य अनुदान की अवशेष जो भी कम हो धनराशि डीजल पम्पसेट/विद्युत पम्पसेट/जनरेटर, सबमर्सिबुल पम्प के विक्रेता को कृषक द्वारा अधिकार पत्र देने पर ऑनलाइन 15 दिन के अन्दर सीधे बैंक खाते में भुगतान की जायेगी। शेष धनराशि की व्यवस्था कृषक द्वारा स्वयं की जायेगी। ऐसे मामलों में जहां कृषक डीजल पम्पसेट/विद्युत पम्पसेट/जनरेटर, सबमर्सिबल पम्प कय कर लेता है तो बोरिंग कार्य के उपरान्त अवशेष अनुदान में से डीजल पम्पसेट/विद्युत पम्पसेट/जनरेटर, सबमर्सिबल पम्प के मूल्य का अधिकतम 50 प्रतिशत अथवा अनुमन्य अनुदान की अवशेष धनराशि जो भी कम हो का भुगतान सीधे कृषक के बैंक खाते में किया जायेगा।

(iii) कृषक द्वारा पम्प हाऊस इत्यादि का निर्माण कर देने के उपरान्त सहायक अभियन्ता(ल0सि0) को सूचित किया जायेगा तथा सहायक अभियन्ता(ल0सि0) द्वारा 15 दिन के अन्दर स्थल का निरीक्षण करने के उपरान्त अनुदान के समायोजन के सम्बन्ध में संस्तुति की जायेगी तथा अनुदान का समायोजन करते हुये यदि कृषक की जमा धनराशि एवं अनुमन्य अनुदान की धनराशि में से से कोई धनराशि शेष बचती है तो यह कृषक को सीधे बैक खाते में वापस कर दिया जायेगा। जिन नलकूपों का विद्युतीकरण कराया जाना है उनके ऊर्जीकरण के लिए विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित प्रति नलकूप अनुमन्य धनराशि (वर्तमान में रू0 68,000/-) अथवा वास्तविक लागत जो भी कम हो लाभार्थी के नाम सहित उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन को उपलब्ध करा दी जायेगी तत्पश्चात् कृषक का लेखा बन्द कर दिया जायेगा।

(iv) बोरिंग असफल होने की स्थिति में कृषक द्वारा जमा किये धन में से विभाग द्वारा किये गये कुल व्यय का 10 प्रतिशत् अथवा रू0 1000/- जो भी कम हो, काटकर शेष राशि कृषक को चेक द्वारा वापस कर दी जायेगी।

ऋण द्वारा नलकूप निर्माण की प्रकिया–

(1) लघु सिंचाई विभाग के प्राक्कलन के आधार पर सम्बन्धित बैंक द्वारा ऋण स्वीकृत किया जायेगा। ऋण केवल उतनी ही मात्रा में स्वीकृत किया जायेगा जो अनुमन्य अनुदान की राशि को घटाकर शेष बचता है। कृषक आंशिक व्यय अपने श्रोतों से भी वहन कर सकता है परन्तु उक्त आंशिक धनराशि उसे बैंक में जमा करनी होगी।

(2) बैंक द्वारा एक माह के अन्दर ऋण की स्वीकृति प्रदान की जायेगी तथा उसकी स्वीकृति की सूचना सम्बन्धित कृषक एवं विभाग को दी जायेगी। विभाग के अनुरोध पर ऋण की धनराशि बैक द्वारा विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी। विभाग द्वारा अनुमन्य अनुदान की धनराशि एवं बैंक द्वारा उपलब्ध करायी गयी स्वीकृत धनराशि आहरित कर सामग्री इत्यादि की व्यवस्था की जायेगी एवं बोरवेल का निर्माण बैंक द्वारा धनराशि उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त यथा सम्भव एक माह के अन्दर किया जायेगा। बोरवेल का निर्माण होने की सूचना सहायक अभियन्ता (ल0सि0) द्वारा सम्बन्धित बैंक को दी जायेगी और यदि अनुमन्य अनुदान में से कोई धनराशि अवशेष बचती है तो वह विभाग द्वारा सम्बन्धित बैंक में कृषक के खाते में जमा करा दी जायेगी।बोरवेल के निर्माण के उपरान्त डीजल पम्पसेट/विद्युत पम्पसेट/जनरेटर सेट, सबमर्सिबल पम्प को हार्स पावर इत्यादि के विषय में कृषक को विभाग द्वारा परामर्श दिया जायेगा। कृषक बाजार में उपलब्ध अपनी मन पसन्द आई0एस0आई0 मार्क डीजल पम्पसेट/विद्युत पम्पसेट/ जनरेटर सेट, सबमर्सिबल पम्प का कोटेशन बिल विक्रेता से प्राप्त कर बैंक को उपलब्ध करायेगा। बैंक द्वारा उपलब्ध अवशेष अनुदान एवं ऋण की धनराशि में से डीजल पम्पसेट/विद्युत पम्पसेट/ जनरेटर सेट, सबमर्सिबल पम्प कय हेतु आवश्यक धनराशि पम्पसेट विक्रेता को 15 दिन के अन्दर भुगतान की जायेगी।

(3) डीजल पम्पसेट/विद्युत पम्पसेट/ जनरेटर सेट, सबमर्सिबल पम्प कय हेतु धनराशि प्राप्त होने के उपरान्त कृषक द्वारा 15 दिन के अन्दर डीजल पम्पसेट/विद्युत पम्पसेट/ जनरेटर सेट, सबमर्सिबल, पम्प कय कर स्थापित किया जायेगा। डीजल पम्पसेट/विद्युत पम्पसेट/ जनरेटर सेट, सबमर्सिबल पम्प स्थापित होने की सूचना कृषक द्वारा सम्बन्धित बैंक एवं सहायक

अभियन्ता (ल0सि0) को दी जायेगी। सहायक अभियन्ता (ल0सि0) 15 दिन के अन्दर स्थल का निरीक्षण कर विद्युत कनेक्शन एवं पम्प हाऊस इत्यादि के निर्माण हेतु धनराशि अवमुक्त करने के लिये संबंधित बैंक को अपनी संस्तुति देंगे। बैंक द्वारा विद्युत कनेक्शन हेतु आवश्यक धनराशि उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन को पृष्ठांकित कर भुगतान की जायेगी तथा पम्प हाऊस इत्यादि के निर्माण हेतु धनराशि कृषक को उपलब्ध करायी जायेगी। उक्त की सूचना बैंक द्वारा विभाग को दी जायेगी।

(4) कृषक द्वारा पम्प हाउस इत्यादि के निर्माण हेतु प्राप्त धनराशि से पम्प हाउस एवं अन्य जो भी कार्य प्रस्तावित है, का निर्माण एक माह के अन्दर करा लिया जायेगा और इसकी सूचना संबंधित बैंक तथा सहायक अभियन्ता लघु सिंचाई को दी जायेगी। सहायक अभियन्ता लघु सिंचाई द्वारा सूचना प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर स्थल का निरीक्षण कर अनुदान के समायोजन के संबंध में संस्तुति की जायेगी। जिसके आधार पर अधिशासी अभियन्ता द्वारा अनुदान समायोजित किया जायेगा और इसकी सूचना बैंक को दी जायेगी।

<u>अन्य महत्वपूर्ण बिन्दुः-</u>

(1) एसेम्बली लोवरिंग का कार्य अधिशासी अभियन्ता लघु सिंचाई से लोवरिंग चार्ट का अनुमोदन कराकर, सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई की उपस्थिति में किया जायेगा।

(2) विभाग द्वारा की गयी बोरिंग असफल होने पर सहायक अभियन्ता सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता को रिपोर्ट भेजेगें। अधिशासी अभियन्ता ल0सि0 एवं सर्वेक्षण एजेन्सी के प्रतिनिधि मौके पर नलकूप का निरीक्षण करने के उपरान्त मुख्य अभियन्ता, ल0सि0 विभाग द्वारा निर्धारित मानकों के आधार पर निर्णय लेकर संयुक्त रूप से बोंरिग असफल घोषित करेंगें।

(3) कृषकों के नलकूप निर्माण हेतु लघु सिंचाई विभाग एवं भूगर्भ जल विभाग की रिंग मशीनों के अतिरिक्त आवश्यक होने पर नलकूप निगम तथा सिंचाई विभाग के नलकूप निर्माण खण्ड की बडी रिंग मशीनों का उपयोग किया जा सकता है तथा ऐसी स्थिति में कृषको को अनुदान की वही सुविधा अनुमन्य होगी, जो लघु सिंचाई विभाग की रिंग मशीनों के माध्यम से बोंरिग कराने पर दी जाती है। भूगर्भ जल विभाग, नलकूप

निगम या सिंचाई विभाग के नलकूप निर्माण की रिंग मशीनों द्वारा बोरिंग कराये जाने पर कृषको से कोई सेन्टेज चार्ज नहीं लिया जायेगा और बोरिंग फेल हो जाने पर कास्तकारों को वही अनुदान देय होगा जैसा कि लघु सिंचाई विभाग की रिंग मशीनों द्वारा निर्मित बोरिंग फेल हो जाने पर देय होता है।

(4) राजकीय विभागों/निगमों की रिंग मशीनों की अनुपलब्धता की दशा में योजना के अन्तर्गत प्राइवेट रिंग मशीनों से बोरिंग कराया जाना भी अनुमन्य होगा। परन्तु इस हेतु सम्बन्धित विभागों की सहमति प्राप्त की जायेगी। प्राइवेट रिंग मशीनों का पंजीकरण अधीक्षण अभियन्ता लघु सिचांई द्वारा किया जायेगा। प्राइवेट रिग मशीन का पंजीकरण करते समय यह सुनिश्चित किया जायेगा कि रिग मशीन की क्षमता आर.आर.बिट से कम से कम 17-1/2" का बोर 150मी0 गहराई तक छिद्रण करने की होनी चाहिए। नलकूप के डेवलेपमेण्ट हेतु 150 मी0 तक गहराई के लिए उपयुक्त कमप्रेसर हो। प्राइवेट रिग मशीनों को लक्ष्य आवंटित किये जाने की अनुमति अधीक्षण अभियन्ता लघु सिंचाई द्वारा प्रदत्त की जायेगी।

(5) सफल बोरिंग हेतु जल उपलब्धता मानक निम्नानुसार होगेः-

क0सं0	क्षेत्र	निर्धारित मानक
01	एल्यूवियम क्षेत्र में रिंग मशीन से निर्मित गहरे नलकूप/बोरिंग मय पम्पसेट	04लीटर प्रति सेकेण्ड न्यूनतम डिस्चार्ज अर्थात लगभग 3200 गैलन प्रति घण्टा।
02	पठारी क्षेत्र में रिंग मशीन से निर्मित गहरे नलकूप/बोरिगमय पम्पसेट।	02लीटर प्रति सेकेण्ड न्यूनतम डिस्चार्ज अर्थात लगभग 1600 गैलन प्रति घण्टा।
03	पठारी क्षेत्र में बैगन ड्रिल/इनवेल रिग आदि से निर्मित नलकूपो, बोरिंग मय पम्पसेट तथा ब्लास्टिंग से निर्मित कूप।	1.2लीटर प्रति सेकेण्ड न्यूनतम डिस्चार्ज अर्थात लगभग 1000 गैलन प्रति घण्टा।

(6) गहरे नलकूपों का निर्माण हैवी/भारी रिग मशीनों से कराया जायेगा। हैवी/भारी बोरिंग यूनिट हेतु विभाग में पूर्व से संचालित गहरी बोरिंग योजना के अन्तर्गत निर्धारित विशिष्टियाँ मान्य होगी।

(7) बोरिंग के सफल घोषित हो जाने पर बोरिंग कृषक को हस्तान्तरित कर दी जायेगी।

(8) बोरिंग से पानी की निकासी हेतु उपयुक्त हार्स पावर के डीजल पम्पसेट/विद्युत पम्पसेट/जनरेटर सेट एवं सबमर्सिबल पम्प जहाँ जैसी स्थिति हो, लगाने की परामर्श मुख्य अभियन्ता द्वारा निर्धारित प्रारूप पर सहायक अभियन्ता द्वारा दी जायेगी।

(9) हस्तान्तरण उपरान्त नलकूप का रख-रखाव कृषक द्वारा स्वयं किया जायेगा।

(10) नलकूप का निर्माण कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व कृषक को 100 रू0 के स्टाम्प पेपर पर इस आशय का अनुबन्ध करना होगा कि वह प्राप्त अनुदान एवं ऋण का दुरूपयोग नहीं करेगा और निर्मित वोरवेल में डीजल पम्पसेट/ विद्युत पम्पसेट/ जनरेटर सेट एवं सबमर्सिबल पम्प की स्थापना एवं पम्प हाउस का निर्माण निर्धारित अवधि में अवश्य करा लेगा। यदि उक्त के अतिरिक्त अन्य कोई निर्माण कार्य प्रस्तावित है तो उन्हें भी वह निर्धारित अवधि में करा लेगा। उक्त अनुबन्ध पत्र का प्रारूप मुख्य अभियन्ता, ल0सि0 द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

(11) बोरिंग पूर्ण होने के उपरान्त एक वर्ष तक यदि कृषक अन्य निर्माण कार्य पूर्ण कर लेता है तो वह अनुदान का हकदार होगा। अन्यथा स्थिति में यदि कोई अनुदान अवशेष बचता है तो उसे अधिशासी अभियन्ता द्वारा राजस्व मद में जमा कर दिया जायेगा।

(12) प्राइवेट हैवी/भारी रिग मशीनों द्वारा ड्रिलिंग की दरें विभागीय रिग मशीन की दरों के अधिकतम 85 प्रतिशत तक होंगी। दरों की स्वीकृति अधीक्षण अभियन्ता द्वारा की जायेगी।

(13) नलकूपों के निर्माण एवं जल वितरण प्रणाली हेतु बजटीय आवंटन (सी0सी0एल0) से उपलब्ध धनराशि तथा कृषक द्वारा जमा की गयी धनराशि को जोड़कर कुल उपलब्ध धनराशि में से पहले बजटीय आवंटन (कुल सी0सी0एल0 रू0 1.10 लाख) का उपयोग किया जाये तथा उसके उपरान्त कृषक द्वारा जमा धनराशि का उपयोग इस प्रतिबन्ध के साथ किया जाये कि मध्यम नलकूप के निर्माण तथा जल वितरण प्रणाली की स्थापना हेतु 50 प्रतिशत अनुदान अधिकतम रू0 1.0 लाख एवं रू0 0.10 लाख कमशः देय होगा।

वार्षिक लक्ष्यों का निर्धारण-

प्रत्येक वर्ष योजना के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के अनुरूप लक्ष्यों का निर्धारण पृथक से मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई के प्रस्ताव पर शासन द्वारा किया जायेगा। आवश्यकतानुसार जनपदों के लिये निर्धारित लक्ष्यों में परिवर्तन नियमानुसार स्वीकृतियाँ प्राप्त कर मुख्य अभियन्ता अपने स्तर से करेंगे।

डाइंग, मानक एवं दर का निर्धारण-

योजना के अन्तर्गत निर्मित नलकूपों तथा अन्य कार्यों की डिजाइन एवं ड्राइंग का निर्धारण एवं स्वीकृति अधीक्षण अभियन्ता, ल0सिं0 द्वारा प्रदान की जायेगी तथा विभिन्न कार्यों हेतु दरों के निर्धारण के लिए अधीक्षण अभियन्ता, ल0सिं0 उत्तरदायी होगे। योजना के अन्तर्गत समस्त कार्य अधीक्षण अभियन्ता, ल0सिं0 द्वारा निर्धारित विशिष्टयों, मानकों एवं दरो के अनुसार ही किये जायेगें।

बोरिंग हस्तानान्तरण के उपरान्त फेल होने पर निर्देश-

इस सम्बन्ध में निर्देश निम्नानुसार है:-

(1) बोरिंग हैण्डओवर होने के 6 माह के अन्दर (जिसमें यह माना गया है कि कृषक ने एक सीजन की सिंचाई कर ली होगी) यदि बोरिंग फेल होती है ओर निम्नलिखित में से कोई एक अथवा अधिक दोष प्रकाश में आते हैं तो विभागीय कर्मचारियों/अधिकारियों का दायित्व निर्धारित किया जायेगा।

(I) उपयुक्त सही साइज का एवं समुचित मात्रा में पी-ग्रेविल का न डाला जाना।
(II) बोरिंग का विकास सही ढंग से न किया जाना।
(III) ड्रिलिंग सही/सीधा न होना।
(IV) सामग्री के प्रयोग में कमी।
(V) अधोमानक सामग्री का होना।
(VI) वर्कमैनशिप में कमी।

(2) यदि बोरिंग का 6 माह अथवा एक सीजन में उपयोग हो गया है और उपरोक्त अवधि में बोरिंग ठीक ढंग से कार्य करती रही है तो विभाग का दायित्व न मानते हुये कृषक की शिकायत पर कोई कार्यवाही अपेक्षित न होगी। केवल लिखित शिकायत मान्य होगी।

(3) विभागीय दोष के कारण बोरिंग असफल होने की दशा में उत्तरदायित्व का निर्धारण पूर्व में विभाग द्वारा संचालित गहरे नलकूप योजना हेतु निर्गत शासनादेश संख्या 213/62-2-2013-2/2(10)/2012, दिनांक 11.02.2013 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा।

(4) दोबारा बोरिंग किये जाने का निर्णय लेने पर व्यय भार के वहन हेतु अतिरिक्त बजट की आवश्यकता नहीं होगी अपितु इसका वहन विभागीय स्टॉक सेविंग/कन्टीजेन्सी से किया जायेगा।

(5) उत्तरदायित्व निर्धारण के पश्चात् पुनः बोरिंग कराने पर हुये व्यय की वसूली संबंधित कर्मचारी/अधिकारी से करते हुये धनराशि को राजस्व मद में जमा किया जायेगा।

सामग्री क्रय की व्यवस्था-

मुख्यमंत्री लघु सिंचाई गहरे नलकूप योजना के अन्तर्गत क्रय की जाने वाली सामग्रियों को प्राप्त बजट एवं कृषकों द्वारा जमा धनराशि से जेम पोर्टल के माध्यम से सुसंगत शासनादेशों एवं भण्डार क्रय नियमों के अनुरूप खण्ड स्तर पर की जायेगी।

अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण-

(1) यह योजना महत्वपूर्ण है तथा विभिन्न स्तरों पर इसकी गुणवत्ता की चेकिंग किया जाना आवश्यक है। इस योजना के सघन अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण के लिये जनपद स्तर पर सहायक अभियन्ता, खण्ड स्तर पर अधिशासी अभियन्ता एवं वृत्त स्तर पर अधीक्षण अभियन्ता पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे तथा वह इस योजना की प्रगति की पाक्षिक समीक्षा भी करेंगे एवं उसे मुख्य अभियन्ता को प्रेषित किया जायेगा तथा फील्ड में आने वाली कठिनाईयों का निराकरण तत्काल सुनिश्चित करेंगे।

(2) अवर अभियन्ता शत-प्रतिशत कार्यो हेतु उत्तरदायी होगें तथा योजना में निर्मित कार्यो का कम से कम 50 प्रतिशत् सत्यापन सहायक अभियन्ता द्वारा, 20 प्रतिशत् अधिशासी अभियन्ता द्वारा एवं 10 प्रतिशत् अधीक्षण अभियन्ता द्वारा किया जायेगा तथा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उच्चतर अधिकारी अपने अधीनस्थ अधिकारी द्वारा किये गये सत्यापन से अतिरिक्त कार्यो का सत्यापन करें।

(3) उक्त योजनान्तर्गत सभी नलकूपों की जियो टैगिंग अनिवार्य रूप से करायी जायेगी।

(4) उपरोक्त योजना के प्रदेश स्तर पर क्रियान्वयन, अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण का दायित्व मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई का होगा। योजना के क्रियान्वयन के संबंध में अपेक्षित प्रार्थना-पत्र/अनुबन्ध एवं लेखा-जोखा रखने की प्रक्रिया व प्रगति संबंधी प्रारूप का निर्धारण मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई अपने स्तर से निर्धारित कर क्षेत्रीय अधिकारियों को समुचित निर्देश के साथ निर्गत करेंगे।

(5) प्रगति का अंकन jjmup.org पर किया जायेगा।

भवदीय

13/03/2021

(राजेश कुमार पाण्डेय)
मुख्य अभियन्ता।

पत्रांकः ल0सिं0/कार्य0/जि0यो0/2020-21, तद्दिनांकः।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- अनु सचिव, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-4 को शासन के पत्र संख्या-411/76-4-2021 दिनांक 12.03.2021 के क्रम में संलग्नक सहित सूचनार्थ प्रेषित।
2- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5- निदेशक(प्रशिक्षण), लघु सिंचाई एवं जल प्रयोग, बी.के.टी., लखनऊ।
6- अधिशासी अभियन्ता, भण्डार आपूर्ति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

(राजेश कुमार पाण्डेय)
मुख्य अभियन्ता।